

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**



S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 382/2026

1. Girraj Singh Shekhawat S/o Shree Mahaveer Singh Shekhawat, Aged About 34 Years, R/o Plot No 25, Purani Haveli Nangal Jaisa Bohra, Police Thana Khorabisal, Jaipur. (Presently, Accused- Petitioner Is Confined At Central Jail, Jaipur.)
2. Surendra Kumar S/o Shree Matadin Gurjar, Aged About 28 Years, R/o Gaw Nanuwali Badi, Tehsil Khetri, Police Thana Khetri, District Jhunjhunu (Raj.) (Presently, Accused- Petitioner Is Confined At Central Jail, Jaipur.)

----Petitioners

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	: Mr. Deepak Chauhan with Mr. Harsh Joshi Mr. Chinmaya Mudgal
For Respondent(s)	: Mr. Vivek Chaudhary, PP

HON'BLE MR. JUSTICE PRAVEER BHATNAGAR

Order

24/04/2026

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अन्तर्गत पुलिस थाना— खोराबीसल, जिला— जयपुर (पश्चिम) में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या— 118/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 127(4), 143(3), 146, 318(4), 316(2), 61(2) भारतीय न्याय संहिता में पेश किया गया है।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को प्रकरण में झूठा संबद्ध किया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के संदर्भ में मात्र यह आक्षेपित किया गया है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ने एनजीओ की रजिस्टर्ड संस्था होते हुए उसमें रह रहे पुरुषों और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया और उन्हें समय पर खाना नहीं दिया, उनका शोषण किया। इस संदर्भ में परस्पर विरोधाभासी कथन धारा

180 बीएनएसएस के अंतर्गत वहां रहने वाले स्त्री-पुरुषों के अभिलेख पर उपलब्ध हैं। उनका तर्क है कि उक्त स्त्री-पुरुषों को समय-समय पर पुलिस द्वारा ही उनकी एनजीओ संस्थान में उचित कार्यवाही करने के उपरांत दाखिल कराया गया है। प्रकरण में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण दिनांक 18.12.2025 से अभिरक्षा में चल रहे हैं एवं प्रकरण के विचारण में लंबा समय लगने की संभावना है। प्रकरण में अभियोग पत्र संबंधित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है एवं प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध पूर्व में कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाए।

विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रक्रम पर प्रकरण के गुणावगुणों पर कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है। प्रकरण में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण दिनांक 18.12.2025 से अभिरक्षा में चल रहे हैं एवं प्रकरण के विचारण में लंबा समय लगने की संभावना है। प्रकरण में अभियोग पत्र संबंधित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है एवं प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध पूर्व में कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मैं प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का जमानत आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य समझता हूँ।

परिणामतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **1. गिराज सिंह शेखावत पुत्र महावीर सिंह शेखावत, 2. सुरेन्द्र कुमार पुत्र मातादीन गुर्जर** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक प्रार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु पचास हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उनकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(PRAVEER BHATNAGAR),J